राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी/2014 जयपुर, दिनांक :– 01 JUN 2018

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान– 4 के अन्तर्गत सरकारी अथवा नगरीय निकाय की भूमि पर विकासकर्ता के माध्यम से निर्मित की जाने वाली योजनाओं में पॉलिसी में वर्तमान में निर्धारित अधिकतम बिड दर रूपये 1000/– प्रति वर्ग फुट के स्थान पर निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि के मध्यनजर रूपये 1100/– प्रति वर्ग फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

01/6/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

01/6/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

6.6.18